



राजस्थान शासन

परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में

**Modified Budget At A Glance**

**2009-10**

परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में

**Modified Budget At A Glance**

**2009-10**

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर  
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, RAJASTHAN, JAIPUR

## परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में 2009-10

## MODIFIED BUDGET AT A GLANCE

(Rs. in crore/ करोड़ रुपये में)

मद Items	आय -व्ययक		संशोधित	आय -व्ययक
	लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान(परि.)
	A/Cs 2007-08	B.E. 2008-09	R.E. 2008-09	B.E.(Modified) 2009-10
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां	<b>30780.62</b>	<b>32986.25</b>	<b>34383.18</b>	<b>38267.97</b>
<b>Revenue Receipts</b>				
(अ) राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	13274.73	14562.28	15134.29	16742.29
(ब) अ-कर राजस्व Non-Tax Revenue	4053.93	3591.17	3839.91	5283.00
(स) केन्द्रीय करों के अंश Share in central Taxes	8527.60	9877.43	8997.00	9617.67
(द) सहायतार्थ अनुदान Grants -in-aid	4924.36	4955.37	6411.98	6625.01
2. पूंजीगत प्राप्तियां	<b>6114.78</b>	<b>8078.91</b>	<b>9250.81</b>	<b>11508.59</b>
<b>Capital Receipts</b>				
(अ) ऋणों की वसूली Recovery of Loans	1780.73	97.33	94.48	102.29
(ब) अन्य प्राप्तियां Misc.Receipts	1.16	0.00	0.00	0.00
(स) उधार एवं अन्य देनदारियां Borrowings & other Liabilities	4332.89	7816.58	8991.33	11406.30
(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which repayments)	(1845.81)	(2534.29)	(2432.61)	(2947.22)
(द) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	165.00	165.00	0.00
2.1 शुद्ध उधार Net Borrowing	<b>2487.08</b>	<b>5282.29</b>	<b>6558.72</b>	<b>8459.08</b>
3. कुल प्राप्तियां (1+2) Total Receipts	<b>36895.40</b>	<b>41065.16</b>	<b>43633.99</b>	<b>49776.56</b>
4. आयोजना भिन्न व्यय Non-plan Expenditure	<b>26829.33</b>	<b>28078.04</b>	<b>30853.69</b>	<b>35433.26</b>
(अ) राजस्व खाते से (ब्याज की अदायगी) On revenue account (of which Interest Payment)	23993.98 (5942.99)	25517.48 (6440.52)	28600.53 (6241.56)	33136.15 (6754.19)
(ब) पूंजीगत खाते से On capital Account	2835.35	2560.56	2253.16	2297.11

## परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में 2009-10

## MODIFIED BUDGET AT A GLANCE

(Rs.in crore/ करोड़ रुपये में)

मद Items	आय -व्ययक		संशोधित	आय -व्ययक
	लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान(परि.)
	A/Cs. 2007-08	B.E. 2008-09	R.E. 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10
1	2	3	4	5
<b>5. आयोजना व्यय</b>	<b>8892.37</b>	<b>10015.48</b>	<b>9694.01</b>	<b>10950.11</b>
<b>Plan Expenditure</b>				
(अ) राजस्व खाते से On Revenue Account	4094.23	5119.23	4438.27	4936.25
(ब) पूंजीगत खाते से On Capital Account	4798.14	4896.25	5255.74	6013.86
<b>6. केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय</b>	<b>2094.99</b>	<b>2626.25</b>	<b>2911.75</b>	<b>3353.99</b>
<b>C.S.S.Expenditure</b>				
(अ) राजस्व खाते से On Revenue Account	1039.43	1166.40	1627.40	1604.21
(ब) पूंजीगत खाते से On Capital Account	1055.56	1459.85	1284.35	1749.78
<b>7. कुल व्यय (4+5+6)</b>	<b>37816.69</b>	<b>40884.77</b>	<b>43624.45</b>	<b>49737.36</b>
<b>Total Expenditure</b>				
(अ) राजस्व व्यय Revenue Expenditure	29127.64	31803.11	34666.20	39676.61
(ब) पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	8689.05	8916.66	8793.25	10060.75
(स) आकस्मिकता निधि का विनियोग Appropriation to Contingency Fund	0.00	165.00	165.00	0.00
<b>8. राजस्व घाटा / बचत (1-7अ)</b>	<b>1652.98</b>	<b>1183.14</b>	<b>-283.02</b>	<b>-1408.64</b>
<b>Revenue Deficit/Surplus</b>				
(जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा / बचत) (of which Non-plan Revenue Deficit/Surplus)	(2888.15)	(3535.83)	(709.40)	(-286.51)
<b>9. बजट घाटा / बचत (3-7)</b>	<b>-921.29</b>	<b>180.39</b>	<b>9.54</b>	<b>39.20</b>
<b>Budgetary Deficit/Surplus</b>				
<b>10. राजकोषीय घाटा</b>	<b>-3408.37</b>	<b>-5266.90</b>	<b>-6714.18</b>	<b>-8419.88</b>
<b>Fiscal Deficit</b>				
<b>11. प्रारम्भिक घाटा</b>	<b>2534.62</b>	<b>1173.62</b>	<b>-472.62</b>	<b>-1665.69</b>
<b>Primary Deficit</b>				


# आय व्ययक एक दृष्टि में

## BUDGET AT A GLANCE


करोड़ रु०

CRORE Rs.


### प्राप्तियाँ RECEIPTS



### व्यय EXPENDITURE




### घाटा/बचत DEFICIT/ SURPLUS



\*संशोधित /Modified


# रुपया आता है

## RUPEE COMES FROM



# रुपया जाता है

## RUPEE GOES TO



**प्राप्तियां**  
**RECEIPTS**

(Rs. in crore/ करोड़ रुपये में)

मद Items	लेखे A/Cs.	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक
		अनुमान B.E.	अनुमान R.E.	अनुमान(परि.) B.E.(Modi.)
	2007-08	2008-09	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
<b>1. राज्य के कर राजस्व</b>	<b>13274.73</b>	<b>14562.28</b>	<b>15134.29</b>	<b>16742.29</b>
<b>State's Tax Revenue</b>				
(i) भू – राजस्व Land Revenue	155.29	212.06	145.06	250.06
(ii) मुद्रांक एवं पंजीयन Stamps & Registration	1544.35	1725.00	1575.00	1650.00
(iii) राज्य आबकारी State Excise	1805.12	1910.00	2025.00	2300.00
(iv) बिक्री कर Sales Tax	7750.74	8500.00	9100.00	10030.00
(v) वाहनों पर कर Tax on Vehicle	1164.40	1153.00	1200.00	1300.00
(vi) बिजली शुल्क Electricity Duty	584.24	635.34	639.23	707.23
(vii) अन्य कर एवं शुल्क Other Taxes & Duties	270.59	426.88	450.00	505.00
<b>2. केन्द्रीय करों का अंश</b>	<b>8527.60</b>	<b>9877.43</b>	<b>8997.00</b>	<b>9617.67</b>
<b>Share in Central Taxes</b>				
(i) आयकर Income Tax	1816.51	1892.49	1723.56	1996.88
(ii) निगम कर Corporation Tax	2706.41	3028.31	2758.29	3550.07
(iii) संघ उत्पादन शुल्क Union Excise Duty	1538.74	1938.39	1765.87	1145.62
(iv) सीमा शुल्क Custom Duty	1611.87	1972.96	1797.03	1750.45
(v) सेवा कर Service Tax	851.54	1042.95	950.12	1171.72
(vi) अन्य कर	2.53	2.33	2.13	2.93



## प्राप्तियां

## RECEIPTS

(Rs.in crore/ करोड़ रुपये में)

मद Items	लेखे A/Cs.	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक
		अनुमान B.E	अनुमान R.E	अनुमान(परि.) B.E.(Modi.)
	2007-08	2008-09	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
3. कर भिन्न राजस्व	<b>4053.93</b>	<b>3591.17</b>	<b>3839.91</b>	<b>5283.00</b>
<b>Non Tax Revenue</b>				
(i) ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	1112.43	1006.87	1189.62	1189.32
(ii) लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	12.67	29.63	42.90	42.90
(iii) अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	2928.83	2554.67	2607.39	4050.78
3.1 सहायतार्थ अनुदान Grants-in-aid	4924.36	4955.37	6411.98	6625.01
3.2 कर भिन्न राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान Non Tax Revenue and Grants in Aid	<b>8978.29</b>	<b>8546.54</b>	<b>10251.89</b>	<b>11908.01</b>
3.3 कुल राजस्व प्राप्तिया (1+2+3.2)	<b>30780.62</b>	<b>32986.25</b>	<b>34383.18</b>	<b>38267.97</b>
<b>Total Revenue Receipts</b>				

## प्राप्तियां

## RECEIPTS

(Rs.in crore/ करोड़ रुपये में)


मद Items	लेखे A/Cs.	आय –व्ययक		संशोधित	आय –व्ययक
		अनुमान B.E	अनुमान R.E	अनुमान(परि.) B.E.(Modi.)	
	2007-08	2008-09	2008-09	2009-10	
1	2	3	4	5	
4. पूंजीगत प्राप्तियां <b>Capital Receipts</b>	<b>6114.78</b>	<b>8078.91</b>	<b>9250.81</b>	<b>11508.59</b>	
(i) प्रत्यादत्त उधार एवं अग्रिम Recoveries of Loans & Advances	1780.73	97.33	94.48	102.29	
(ii) आन्तरिक ऋण Internal Debt	4635.78	5922.87	7520.79	8845.72	
(iii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	427.55	584.27	450.85	554.00	
(iv) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	165.00	165.00	0.00	
(v) शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Accounts	-730.44	1309.44	1019.69	2006.58	
(vi) अन्य पूंजीगत प्राप्तियां Other Capital Receipts	1.16	0.00	0.00		
5. कुल प्राप्तियां (3.3+4)	<b>36895.40</b>	<b>41065.16</b>	<b>43633.99</b>	<b>49776.56</b>	
<b>Total Receipts</b>					

# प्राप्तियाँ

# RECEIPTS

- राज्य कर राजस्व  
STATE'S TAX REVENUE
- केन्द्रीय करों का अंश  
SHARE IN CENTRAL TAXES
- कर-भिन्न राजस्व  
NON-TAX REVENUE
- सहायतार्थ अनुदान  
GRANTS-IN-AID
- पूँजीगत प्राप्तियाँ  
CAPITAL RECEIPTS

करोड़ ₹0  
CRORE Rs.



\*परिवर्तित /Modified

**EXPENDITURE**

(Rs.in crore/ करोड़ रुपये में)

मद Items	आय –व्ययक		संशोधित	आय –व्ययक
	लेखे A/Cs. 2007-08	अनुमान B.E 2008-09	अनुमान R.E 2008-09	अनुमान(परि.) B.E.(Modi.) 2009-10
1	2	3	4	5
<b>I राजस्व व्यय</b>				
<b>REVENUE EXPENDITURE</b>				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	<b>23993.98</b>	<b>25517.48</b>	<b>28600.53</b>	<b>33136.15</b>
<b>NON-PLAN-EXPENDITURE</b>				
1. सामान्य सेवाएं General Services	10779.68	12099.01	13320.80	15251.98
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	8280.90	9648.03	11085.49	13310.30
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	4916.85	3758.72	4168.09	4562.72
4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution	16.55	11.72	26.15	11.15
(ख) आयोजना व्यय	<b>4094.23</b>	<b>5119.23</b>	<b>4438.27</b>	<b>4936.25</b>
<b>PLAN EXPENDITURE</b>				
1. सामान्य सेवाएं General Services	116.26	147.51	86.41	23.96
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	1372.70	1962.94	1837.73	2068.53
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	2605.27	3008.78	2514.13	2843.76
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	<b>1039.43</b>	<b>1166.40</b>	<b>1627.40</b>	<b>1604.21</b>
<b>CENTRALLY SPONSORED SCHEME</b>				
1. सामान्य सेवाएं General Services	26.33	13.11	32.81	8.04
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	546.42	628.22	909.12	945.21
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	466.68	525.07	685.47	650.96
(घ) कुल राजस्व व्यय (I)	<b>29127.64</b>	<b>31803.11</b>	<b>34666.20</b>	<b>39676.61</b>
(क+ख+ग)				
<b>TOTAL REVENUE EXPENDITURE</b>				

**व्यय**  
**EXPENDITURE**

(Rs.in crore/ करोड़ रुपये में)

मद Items	लेखे A/Cs. 2007-08	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक
		अनुमान B.E 2008-09	अनुमान R.E 2008-09	अनुमान(परि.) B.E.(Modi.) 2009-10
1	2	3	4	5
<b>II. पूंजीगत व्यय</b>				
<b>CAPITAL EXPENDITURE</b>				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	<b>944.28</b>	<b>16.27</b>	<b>-195.69</b>	<b>-671.75</b>
<b>NON-PLAN-EXPENDITURE</b>				
1. सामान्य सेवाएं General Services	919.29	0.14	-211.86	-687.66
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	24.98	16.12	16.12	15.90
आर्थिक सेवाएं 3. Economic Services	0.01	0.01	0.05	0.01
(ख) आयोजना व्यय	<b>4576.18</b>	<b>4849.00</b>	<b>4941.07</b>	<b>5818.51</b>
<b>PLAN EXPENDITURE</b>				
1. सामान्य सेवाएं General Services	53.76	61.44	61.50	144.88
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	1871.27	1859.85	2018.21	2100.01
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	2651.15	2927.71	2861.36	3573.62
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	<b>1035.09</b>	<b>1407.13</b>	<b>1240.25</b>	<b>1717.46</b>
<b>CENTRALLY SPONSORED SCHEME</b>				
1. सामान्य सेवाएं General Services	11.42	5.76	17.83	19.43
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	904.06	1260.10	1056.13	1508.37
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	119.61	141.27	166.29	189.66
(घ) कुल पूंजीगत व्यय(II) (क+ख+ग)	<b>6555.55</b>	<b>6272.40</b>	<b>5985.63</b>	<b>6864.22</b>
<b>TOTAL CAPITAL EXPENDITURE(II)</b>				

## व्यय


## EXPENDITURE

(Rs.in crore/ करोड़ रुपये में)

मद Items	लेखे	आय –व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	आय –व्ययक अनुमान(परि.)
	A/Cs. 2007-08	B.E 2008-09	R.E 2008-09	B.E.(Modi.) 2009-10
1	2	3	4	5
<b>पूंजीगत व्यय</b>				
<b>CAPITAL EXPENDITURE</b>				
III. लोक ऋण (आयोजना भिन्न) <b>PUBLIC DEBT (NON-PLAN)</b>	<b>1845.81</b>	<b>2534.29</b>	<b>2432.61</b>	<b>2947.23</b>
IV. ऋण एवं अग्रिम <b>LOAN AND ADVANCES</b>	<b>287.69</b>	<b>109.97</b>	<b>375.01</b>	<b>249.30</b>
1. आयोजना भिन्न Non-Plan	45.26	10.00	16.24	21.63
2. आयोजना Plan	221.96	47.25	314.67	195.35
3. केन्द्र प्रवर्तित योजना C.S.S.	20.47	52.72	44.10	32.32
V. आकस्मिकता निधि का विनियोग <b>Appropriation to Contingency Fund</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>
<b>वृहत पूंजीगत व्यय</b> <b>GRAND TOTAL CAPITAL EXPENDITURE</b>	<b>8689.05</b>	<b>9081.66</b>	<b>8958.25</b>	<b>10060.75</b>

# व्यय

# EXPENDITURE



\*परिवर्तित /Modified

मुख्य विशेषताएं

**वार्षिक योजना**

2009-10



## वार्षिक योजना 2009-10 के मुख्य बिन्दु

### वार्षिक योजना का आकार:

- राज्य विधानसभा में प्रस्तुत परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान के अनुसार वार्षिक योजना 2009-10 के लिए सकल बजटीय समर्थन के रूप में 10950.11 करोड़ रुपये शामिल करते हुए 18634.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

### क्षेत्रवार मुख्य-मुख्य विशेषताएं:

#### 1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- 171.00 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के शामिल।
  - ◆ कृषि विपणन बोर्ड के 170 करोड़ रुपये ।
  - ◆ राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के 1 करोड़ रुपये ।
- बाह्य सहायतिथ राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना हेतु 808.00 लाख रुपये का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत 350.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु राज्यांश के रूप में 11.17 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए गोवर्धन ड्रेन परियोजना हेतु 36.22 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
  - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल - 91.75 लाख हैक्टेयर
  - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन - 153.25 लाख टन
  - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल - 45 लाख हैक्टेयर
  - ◆ तिलहन का उत्पादन - 60.05 लाख टन

- ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल - 0.05 लाख हैक्टेयर
- ◆ गन्ना उत्पादन - 2.80 लाख टन
- ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल - 3.00 लाख हैक्टेयर
- ◆ कपास उत्पादन - 7 लाख गांठें
- ◆ कृत्रिम गर्भाधान - 20 लाख
- ◆ बंध्याकरण - 10.50 लाख
- ◆ मत्स्य बीज उत्पादन - 360 मिलियन
- ◆ मत्स्य उत्पादन - 26000 मेट्रिक टन
- ◆ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण वितरण-2977 करोड़ रुपये (स्तर)

## 2. ग्रामीण विकास:

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में 1026.73 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु 180.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु 288.52 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- बाह्य सहायतिथ पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु परियोजना के लिए 8.39 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
  - ◆ इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत नये आवासों का निर्माण - 91670 आवास
  - ◆ दोपहर का भोजन - 80.71 लाख छात्र/छात्राएं

- ◆ स्वर्णजयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत 56421 स्वरोजगारी को लाभान्वित करना ।
- ◆ 30 हजार लोगों को भूखण्ड आवंटन ।

### 3. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम:

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 84.25 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- मगरा विकास हेतु 4 करोड़ रुपये एवं मेवात क्षेत्र विकास के लिए 7.23 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

### 4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

- बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं हेतु 263.86 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना के लिए 163.86 करोड़ रुपये ।
  - ◆ लघु सिंचाई सुधार योजना के लिए 100.00 करोड़ रुपये ।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु 260.38 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ नर्बदा परियोजना के लिए 175.00 करोड़ रुपये, गंग केनाल के आधुनिकीकरण के लिए 20.00 करोड़ रुपये एवं मरू/जनजाति क्षेत्रों हेतु नई लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 65.38 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना ।
- 77628 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य
  - ◆ 20,000 हैक्टेयर इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ।
  - ◆ 6000 हैक्टेयर चम्बल सिंचित क्षेत्र में ।
  - ◆ 20,000 हैक्टेयर सिद्धमुख-नोहर क्षेत्र में ।
  - ◆ 15,000 हैक्टेयर अमरसिंह उप शाखा क्षेत्र में ।
  - ◆ 16,628 हैक्टेयर बीसलपुर क्षेत्र में ।

## 5. विद्युत:

- 5543.00 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के सम्मिलित ।
  - ◆ 2299.00 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ।
  - ◆ 993.00 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के ।
  - ◆ 626.00 करोड़ रुपये जयपुर डिस्कॉम के ।
  - ◆ 445.00 करोड़ रुपये जोधपुर डिस्कॉम के ।
  - ◆ 480.00 करोड़ रुपये अजमेर डिस्कॉम के ।
- एफ.आर.पी. के अन्तर्गत संक्रमण सहायता के रूप में 400.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- 1710 करोड़ रुपये का राजकीय इक्विटी अंशदान के रूप में प्रावधान ।
- राज्य क्षेत्र में छबड़ा थर्मल विद्युत परियोजना यूनिट-2 (250 मेगावाट) एवं कोटा थर्मल विद्युत परियोजना यूनिट-7 (195 मेगावाट) को चालू करना ।
- राज्य क्षेत्र में तीन नई विद्युत परियोजनाएं यथा सूरतगढ़ थर्मल विद्युत परियोजना यूनिट 7 व 8 (2×660 मेगावाट), छबड़ा थर्मल विद्युत परियोजना यूनिट 5 व 6 (2×660 मेगावाट) एवं गिराल लिग्नाईट-आधारित थर्मल विद्युत परियोजना यूनिट 3 व 4 (2×125 मेगावाट) आरंभ की जावेगी ।
- 785 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 60076 कुओं का ऊर्जाकरण ।

## 6. उद्योग एवं खनन:

- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के 120 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल ।
- उद्योग विभाग हेतु 9.32 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें सीपेट ;ब्ज्ब्ज्ब्ज् के लिए प्रावधान सम्मिलित है ।
- खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु 5.75 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

- निवेश संवर्धन ब्यूरो हेतु 4.70 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- खान एवं भू-गर्भ विभाग हेतु 5.30 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण हेतु 1.35 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

## 7. परिवहन:

- 112.50 करोड़ रुपये आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल ।
  - ◆ 90.00 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ।
  - ◆ 22.50 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के।
- आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतिथ सड़क कार्यों के लिए 276.03 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ 350 कि.मी. सड़कों का निर्माण, 850 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण एवं 85 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन ।
- केन्द्रीय सड़क निधी के लिए 131.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान ।
  - ◆ राज्य उच्चमार्ग एवं जिला सड़को की 431 किलोमीटर सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कार्य ।
- राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ 145 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं 5 किलोमीटर कांक्रीट सीमेन्ट सड़कों का निर्माण ।
  - ◆ 14 प्रगतिशील आर.ओ.बीज. का निर्माण ।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 650 नई बसों की खरीद ।

## 8. वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये 5.00 करोड़ रुपये एवं पर्यावरण विभाग के लिये 1.20 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

## 9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

### शिक्षा

- शिक्षा के लिये कुल 891.87 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- प्राथमिक शिक्षा के लिये 605.00 करोड़ रुपये का प्रावधान
  - ◆ इसमें 570 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित ।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये 176.84 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये 24.48 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये 6 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- कला एवं संस्कृति के लिये 42.70 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- तकनीकी शिक्षा के लिये 24.05 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये 12.07 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर (आयुर्वेद सहित) के लिये 482.07 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- बाह्य सहायतिथ राजस्थान हेल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए 111.58 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए राज्य अंशदान के रूप में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें 15 करोड़ रुपये बी.पी.एल. परिवारों के लिए।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 147.05 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- चिकित्सा शिक्षा के लिए 76.47 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें 3.00 करोड़ रुपये राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु सम्मिलित ।

➤ आयुर्वेद हेतु 12.70 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

## जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

➤ जल प्रदाय योजनाओं हेतु 1265.82 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

◆ शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए 543.25 करोड़ रुपये ।

◆ ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 721.66 करोड़ रुपये ।

◆ अधिनस्थ अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए 0.91 करोड़ रुपये ।

➤ उक्त प्रावधान में बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं के लिए 180.50 करोड़ रुपये का प्रावधान भी सम्मिलित ।

◆ बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय योजना के लिए 165.00 करोड़ रुपये ।

◆ बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज-II के लिए 14.00 करोड़ रुपये।

◆ आपणी योजना प्रथम-चरण के लिए 1.50 करोड़ रुपये ।

➤ 10929 बस्तियों/‘एन’ श्रेणी के आंशिक पेयजल सुविधा वाले ग्रामों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य ।

## आवास एवं नगरीय विकास

➤ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के 1738.19 करोड़ रुपये शामिल।

◆ राजस्थान आवासन मण्डल के 250.00 करोड़ रुपये ।

◆ जयपुर विकास प्राधिकरण के 410.00 करोड़ रुपये ।

◆ शहरी स्थानीय निकायों के 1078.19 करोड़ रुपये ।

➤ बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं हेतु 320.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

◆ राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना चरण-प्रथम के लिए 20 करोड़ रुपये ।

◆ राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना चरण-द्वितीय के लिए 300.00 करोड़ रुपये ।

- पुलिस आवास मद में हुडको को किशत का भुगतान करने के लिए 87.06 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए 204.99 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- समग्र आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु 60.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना हेतु 47.44 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 114.81 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना के लिए राज्यांश के रूप में 6.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 6000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
  - ◆ 1.10 लाख मानव दिवसों का सृजन ।
- राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना हेतु राज्यांश के रूप में 2.66 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में 7000 आवासों का निर्माण ।

### पिछड़ी जातियों का कल्याण

- बाह्य सहायतिथ परियोजना वंचित समूहों के लिए आवासीय विद्यालय हेतु 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 90.38 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ 351492 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
- छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 17.47 करोड़ रुपये का प्रावधान ।



- ◆ 3 नये छात्रावास भवन निर्माण हेतु 108 लाख रुपये का प्रावधान।
- अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 5.74 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- ◆ 64702 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
- 80 सम्बल गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के व्यक्तियों की नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु 1.90 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को मैचिंग सहायता के रूप में 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में हिस्सा पूंजी अंशदान के लिए 1.56 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- अनुसूचित जाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत भोजन, वस्त्र, आवास एवं औपचारिक शिक्षा हेतु 20.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी हेतु अनुप्रिती योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए 4.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- गाडिया लुहार के लिए विशिष्ट समग्र योजना हेतु 2.50 लाख रुपये का प्रावधान ।
- देवनारायण योजना के लिए 28.22 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

### समाज कल्याण

- समाज कल्याण के लिए कुल 126.38 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए 82.00 करोड़ रुपये का प्रावधान
- ◆ 4.60 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना ।

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए 18.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ 26.48 लाख बी.पी.एल. परिवारों को जीवन बीमा रक्षा ।
- विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु 6.66 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ 3000 पोलियो उन्मूलन शिविरों का आयोजन ।
  - ◆ 2000 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता ।
  - ◆ 10000 व्यक्तियों को विकलांग छात्रवृत्ति ।
  - ◆ 200 निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता ।
- बाल कल्याण हेतु 6.09 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- महिलाओं के कल्याण हेतु 2.26 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- वृद्धावस्था गृह हेतु 1.51 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

### जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 50.99 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 33.15 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये “महाराष्ट्र पैटर्न” अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में 80.04 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

### महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु 19.96 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ साथियों को मानदेय का भुगतान ।
  - ◆ प्रबन्धकीय क्षमता विकास एवं आय सृजन गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ।
  - ◆ सामुहिक विवाहों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु ।

- ◆ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर में छूट हेतु सहायता ।
- पोषाहार हेतु 238.91 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ 48.37 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषाहार द्वारा लाभान्वित करने हेतु राज्यांश के रूप में 180 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ सहयोगिनियों को मानदेय भुगतान हेतु 20.80 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  - ◆ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एवं सहायकों को मानदेय भुगतान हेतु 8.52 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ समेकित बाल विकास योजना हेतु राज्यांश के रूप में 25.29 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
  - ◆ राष्ट्रीय पोषाहार मिशन पायलेट परियोजना की वचनबद्ध दायित्वों हेतु 2.93 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

## 10. आर्थिक सेवाएं:

- पर्यटन विभाग के लिये 27.91 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- प्रस्तावित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वितीय चरण हेतु 4.02 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान हेतु 13.95 करोड़ रुपये सम्मिलित करते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए 61.30 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवाओं हेतु 7.50 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें 7 करोड़ रुपये अन्नपूर्णा योजना के लिए एवं 50 लाख रुपये राशन टिकट योजना हेतु सम्मिलित है ।

## 11. सामान्य सेवाएं:

- विभिन्न राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी भवनों के निर्माण हेतु 72.39 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान प्रदान करने हेतु 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।

HIGHLIGHTS

**ANNUAL PLAN**

2009-10

## Highlights of Annual Plan 2009-10

### Annual Plan Size:

- According to the Modified Budget presented in the Rajasthan Legislative Assembly, Rs. 18634.80 crores is proposed for Annual Plan 2009-10 including gross budgetary support of Rs. 10950.11 crores.

### Sector-wise Highlights:-

#### I. Agriculture & Allied Services

- Includes IEBR of Rs. 171.00 crores.
  - Rs. 170 crores of Agriculture Marketing Board
  - Rs. 1 crore of State Warehousing Corporation
- Provision of Rs. 808.00 lakhs for Externally Aided Rajasthan Forestry & Biodiversity Project.
- Provision of Rs. 350.00 crores (ACA) for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).
- Provision of Rs.11.17 crores (State Share) for National Horticulture Mission.
- Provision of Rs. 36.22 crores for Govardhan Drain (KNP)
- Important physical targets:
  - Area under Food grains – 91.75 lakh ha.
  - Production of Food Crops – 153.25 lakh tonnes
  - Area under Oilseeds – 45 lakh ha.
  - Production of Oilseeds – 60.05 lakh tonnes
  - Area under Sugarcane – 0.05 lakh ha.
  - Production of Sugarcane – 2.80 lakh tonnes
  - Area under Cotton – 3.00 lakh ha.
  - Production of Cotton – 7 lakh bales
  - Artificial Insemination – 20 lakhs
  - Castration- 10.50 lakhs
  - Fish Seed Production – 360 Million No.
  - Fish Production – 26000 MT
  - Distribution of loan through Cooperative Institutions – Rs. 2977 crores (level)

## **II. Rural Development**

- Provision of Rs. 1026.73 crores as State matching share for CSSs.
- Provision of Rs. 180 crores for MLA Local Area Dev. Scheme.
- Provision of Rs. 200.00 crores as Grants for PRIs under SFC.
- Provision of Rs. 288.52 crores as ACA for Backward Region Grant Fund.
- Provision of Rs. 8.39 crores for Mitigating Poverty in Western Rajasthan (EAP)
- Important physical targets:
  - Construction of new houses under IAY – 91670 houses.
  - Mid-day-meal – 80.71 lakh students
  - SGSY- 56421 Swarozgaries to be benefitted.
  - Plots to be allotted to 30000 persons.

## **III. Special Area Programme**

- Provision of Rs. 84.25 crores as ACA for Border Area Development Programme.
- Provision of Rs. 7.23 crores for Mewat Area Development and Rs. 4 crores for Magra Development.

## **IV. Irrigation & Flood Control**

- Provision of Rs. 263.86 crores for EAPs
  - Rs. 163.86 crores for Raj. Water Sector Restructuring Project.
  - Rs. 100 crores for Minor Irrigation Improvement Scheme.
- Provision of Rs. 260.38 crores for AIBP Projects.
  - Rs. 175 crores for Narbada, Rs. 20 crores for Gang Canal Modernisation and Rs. 65.38 crores for new projects in Desert / Tribal Areas.
- Additional irrigation potential to be created – 1 lakh hectares.
- OFD works – 77628 ha.
  - 20000 ha. in IGNP area
  - 6000 ha. in Chambal Command area
  - 20000 ha. in Sidhmukh-Nohar area
  - 15000 ha. in Amarsingh Sub Branch area
  - 16628 ha. in Bisalpur area

## **V. Power**

- Includes IEBR of Rs. 5543 crores.
  - Rs. 2999 crores of Raj. Rajya Vidyut Utpadan Nigam
  - Rs. 993 crores of Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam
  - Rs. 626 crores of DISCOM, Jaipur
  - Rs. 445 crores of DISCOM, Jodhpur
  - Rs. 480 crores of DISCOM, Ajmer
- Provision of Rs. 400 crores as Transition Support for FRP
- Rs. 1710 crores as State Equity.
- Commissioning of Chhabra Thermal Power Project unit-2 (250 MW) and Kota Thermal Power Project unit-7 (195 MW) in State Sector
- Three new power projects, viz. Suratgarh Thermal Power Project unit-7&8 (2x660 MW), Chhabra Thermal Power Project unit-5&6 (2x660 MW) and Giral Lignite-based Thermal Power Project unit 3&4 (2x125 MW) would be taken up in the State Sector.
- Electrification of 785 villages and energisation of 60076 wells.

## **VI. Industry and Minerals**

- Includes IEBR of Rs. 120 crores of RSMM Ltd.
- Provision of Rs. 9.32 crores for Industries Department including CIPET.
- Provision of Rs. 5.75 crores for Khadi & Village Industries.
- Provision of Rs. 4.70 crores for Bureau of Investment Promotion.
- Provision of Rs. 5.30 crores for Mines & Geology Deptt.
- Provision of Rs. 1.35 crores for RUDA.

## **VII. Roads, Bridges and Transport**

- Includes IEBR of Rs. 112.50 crores.
  - Rs. 90 crores of RSRTC
  - Rs. 22.50 crores of RSRDC
- Provision of Rs. 276.03 crores for NABARD assisted road works under RIDF

- Construction of 350 km. roads, renewal of 850 km. and upgradation of 85 km. rural roads.
- Provision of Rs. 131.95 crores (ACA) for Central Road Fund (CRF)
  - Strengthening, modernisation and renovation of 431 km. State Highway & Major District Roads.
- Provision of Rs. 200 crores under State Road Development Fund.
  - Construction of 145 km. road length and 5 km. CC road.
  - Construction of 14 ongoing ROBs.
- Purchase of 650 new buses by RSRTC.

### **VIII. Scientific Services & Research**

- Provision of Rs. 5 crores for Science & Technology and Rs. 1.20 crores for Environment Department.

### **IX. Social & Community Services:**

#### **Education**

- Total provision of Rs. 891.87 crores for Education Sector.
- Provision of Rs. 605 crores for Elementary Education
  - Includes Rs. 570 crores as State Matching Share for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).
- Provision of Rs. 176.84 crores for Secondary Education.
- Provision of Rs. 24.48 crores for University and other Higher Education.
- Provision of Rs. 6 crores for Literacy & Continuing Education.
- Provision of Rs. 42.70 crores for Arts and Culture
- Provision of Rs. 24.05 crores for Technical Education
- Provision of Rs. 12.07 crores for Sports & Youth Welfare.

#### **Medical & Health**

- Provision of Rs. 482.07 crores for Medical & Health Sector including Ayurved.
- Provision of Rs. 111.58 crores for Rajasthan Health System Development Project (RHSDP) – an EAP Project.



- Provision of Rs. 120.00 crores as State Matching Share for National Rural Health Mission (NRHM) including Rs.15 crores for BPL families.
- Provision of Rs.147.05 crores for Medical & Health Department.
- Provision of Rs. 76.47 crores for Medical Education including Rs. 3 crores for Raj. Health Science University.
- Provision of Rs. 12.70 crores for Ayurved.

### **PHED**

- Provision of Rs. 1265.82 crores for Water Supply Schemes
  - Rs. 543.25 crores for Urban Water Supply Schemes
  - Rs. 721.66 crores for Rural Water Supply Schemes
  - Rs. 0.91 crores for Training Institute for Engineering Subordinates.
- Above provision also includes Rs. 180.50 crores for Externally Aided Projects.
  - Rs. 165 crores for Bisalpur-Jaipur Water Supply Project
  - Rs. 14 crores for Barmer Lift Canal Project Phase-II.
  - Rs. 1.50 crores for Aapni Yojana Phsae-I.
- Target to cover 10929 habitations/"N" category partially covered village to fully covered villages.

### **Housing & Urban Development**

- Includes IEBR of Rs. 1738.19 crores.
  - Rs. 250 crores of Rajasthan Housing Board.
  - Rs. 410 crores of Jaipur Development Authority.
  - Rs. 1078.19 crores of Urban Local Bodies.
- Provision of Rs. 320 crores for Externally Aided Projects
  - Rs. 20 crores for RUIDP phase-I
  - Rs. 300 crores for RUIDP phase-II
- Provision of Rs. 87.06 crores for payment of installment to HUDCO for Police Housing.
- Provision of Rs. 204.99 crores for JNNURM.
- Provision of Rs. 60 crores for Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP).
- Provision of Rs. 47.44 crores for Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT).
- Provision of Rs. 114.81 crores as grant to ULBs under SFC.

- Provision of Rs. 6 crores as State Matching Share for Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)
  - Target to benefit 6000 persons of BPL families under urban self-employment
  - Creation of 1.10 lakh mandays.
- Provision of Rs. 2.66 crores as State Matching Share for National Lake Conservation Plan.
- Construction of 7000 houses in urban areas by Rajasthan Housing Board.

### **Welfare of Backward Classes**

- Provision of Rs. 2.50 crores Residential Schools for Disadvantaged Groups – an EAP project.
- Provision of Rs. 90.38 crores for Scholarship to SC/ST/OBC Post Matric Students.
  - Target to benefit 351492 students
- Provision of Rs. 17.47 crores for Construction of Hostel Buildings
  - Rs. 108 lakhs for construction of 3 new hostel buildings.
- Provision of Rs. 5.74 crores for Pre-matric Scholarship to Scavengers
  - Target to benefit 64702 students.
- Provision of Rs. 4 crores to provide infrastructure facilities in 80 Sambal Villages.
- Provision of Rs. 1.90 crores for Protection of Civil Rights of SCs and STs.
- Provision of Rs. 1.50 crores as matching assistance to RSCSTFDCC.
- Provision of Rs. 1.56 crores as Share Capital to National Minority Finance Development Corporation.
- Provision of Rs. 20.00 crores for Palanhar Yojana to provide food, clothes, residence and formal education for orphan SC children.
- Provision of Rs. 4.00 crores for “Anupriti Scheme” for the SC and ST students to provide them financial assistance for the preparation of civil services exam.

- Provision of Rs. 2.50 lakhs for Special Integrated Scheme for Gadiya Luhar
- Provision of Rs. 28.22 crores for Devnarayan Yojana.

### **Social Welfare**

- Total Provision of Rs. 126.38 crores for Social Welfare.
- Provision of Rs. 82 crores for Old-age Pension under NSAP.
  - To provide old-age pension to 4.60 lakh persons
- Provision of Rs. 18 crores for Jan Shree Bima Yojana under NSAP.
  - Life insurance coverage to 26.48 lakh BPL families
- Provision of Rs. 6.66 crores for Welfare of Handicapped Persons
  - Organisation of 3000 Polio Correction Camps
  - Prosthetic Aid to 2000 persons
  - Handicapped Scholarship to 10000 persons
  - Assistance to 200 disabled persons for self-employment & training.
- Provision of Rs. 6.09 crores for Child Welfare.
- Provision of Rs. 2.26 crores for Women Welfare.
- Provision of Rs. 1.51 crores for Old Age Homes.

### **Tribal Area Development**

- Provision of Rs. 50.99 crores as Special Central Assistance (SCA).
- Provision of Rs. 33.15 crores as ACA under Article 275(1) of the Constitution.
- Provision of Rs. 80.04 crores as untied grant under the "Maharastra Pattern" for the development of tribal areas.

### **Women and Children Development**

- Provision of Rs. 19.96 crores for Women Development programme
  - Payment of Honorarium to Sathins
  - For imparting training in managerial capacity building and income generation activities.
  - For providing grant for Community Marriages.
  - For providing assistance to Women SHGs as incentive in rate of interest for timely repayment of loan.

- Provision of Rs. 238.91 crores for Nutrition
  - Rs. 180 crores as State Matching Share for Supplementary Nutrition to benefit 48.37 lacs children and women.
  - Rs. 20.80 crores for payment of Honorarium to Sahyoginis.
  - Rs. 8.52 crores for payment of Honorarium to anganwari workers and helpers.
  - Rs. 25.29 crores as State Matching Share for ICDS
  - Rs. 2.93 crores for committed liability of NNM Pilot project.

## **X. Economic Services**

- Rs. 27.91 crores for Tourism Department
- Rs. 4.02 crores for proposed District Poverty Initiative Project Phase-II.
- Rs. 61.30 crores for Information & Technology including Rs. 13.95 crores under National e-Governance Action Plan (NEGAP).
- Rs. 7.50 crores for Food & Civil Supply which includes Rs.7 crores for Annapurna Yojana and Rs. 50 lakhs for Ration Ticket Scheme.

## **XI. General Services**

- Provision of Rs. 72.39 crores are for construction of various State and District level buildings.
- Provision of Rs. 1 crore is for grant under Rajasthan Investment Promotion Policy-2003.